रजिस्ट्री सं. डी. (डी:)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

GOVT. OF

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 157] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 1981/चैत्र 18, 1903
No. 157] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 1981/CHAITRA 18, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1981

का० आ० 295(अ):—केन्द्रीय सरकार, मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 64) की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 64) अभिप्रेत है ;

(ख) "आयुक्त" से धारा 15 के अधीन नियुक्त किया गया संवाय आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. सूचना के लिए समय सीमा:—किसी ऐसी सम्पति का जो, केन्द्रीय सरकार में अधिनियम के अधीन निहित हो गई है, प्रत्येक बन्धकदार, और किसी ऐसी सम्पति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 18 के अधीन विनिर्दिष्ट करे, तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा :

परन्तु यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा बंधकदार या व्यक्ति, पर्याप्त कारणों से उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर सूचना देने से निवारित किया गया था तो वह कारणों को लेखबद्ध करके, तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर सूचना ले सकेगा, किन्तु उसके पश्चात् नहीं।

4. सूचना की रीति: (1) नियम 3 के अधीन आयुक्त को दी जाने वाली प्रत्येक सूचना, लेखबद्ध रूप में, आयुक्त के नाम से, भेजी जाएगी और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(क) बंधकदार या किसी ऐसी सम्पत्ति में या उसके संबंध में भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले व्यक्ति का नाम, वर्णन और पूरा पता ;

(ख) उस उपक्रम का नाम, जिसकी बाबत सूचना दी गई है ;

(ग) ऐसे बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित के अधीन देय रकम (भारतीय करेंसी में) ;

(घ) ऐसी लिखत की, यदि कोई है, विशिष्टियां, जिससे ऐसा बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित प्रतिभूत किया गया है और जिसका समर्थन लिखत की प्रमाणित प्रति से किया गया हो ;

(ङ) रकम, यदि कोई है, जो पहले ही प्राप्त की गई है, और उसकी विशिष्टियां ;

(च) कोई अन्य सुसंगत विशिष्टियां ; और

(छ) अनुतोष, जिसका दावा किया गया है।

(2) प्रत्येक सूचना पर, बंधक दार या ऐसा भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे, और उसे सत्यापित किया जाएगा।

(3) सूचना, आयुक्त के दिल्ली स्थित कार्यालय में, सभी कार्य दिवसों में, कार्यालय के समय के दौरान फाइल की जा सकेगी या आयुक्त को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जा सकेगी।

[फा०सं० 13(4)/81-ए ई आई(I)]
एम०सी० गुप्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 1981

S.O. 295(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (2), of Section 31, of the Maruti Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (64 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules, samely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Maruti Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of this publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act' means the Maruti Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (64 of 1980);

(b) "Commissioner" means the Commissioner of Payments appointed under Section 15;

(c) "Section" means a section of the Act.

3. Time limit for intimation.—Every mortgagee of any property which has vested under the Act in the Central Government, and every person holding any charge, lien or other interest in, or in relation to, any such property, shall give an intimation of such mortgage, charge, lien or other interest to the Commissioner within a period of thirty days from such date, as may be specified by the Central Government under section 18.

Provided that if the Commissioner is satisfied that such mortgagee or person was prevented by sufficient cause from giving the intimation within the said period of thirty days, he may, for reasons to be recorded in writing, accept the intimation within a further period of thirty days, but not thereafter.

4. Manner of intimation.—(1) Every intimation to be given to the Commissioner under rule 3 shall be in writing addressed to the Commissioner, and shall contain the following particulars namely :—

(a) name, description and full address of the mortgagee or the person holding charge, lien or other interest in, or in relation to, any such property;

(b) name of the undertaking in respect of which the intimation is made,

(c) amount due under the mortgage, charge, lien or other interest (in Indian currency);

(d) particulars of the instrument, if any, by which the mortgage, charge,, lien or other interest is secured, supported by an attested copy of the instrument;

(e) amount, if any, already received with particulars;

(f) any other relevant particulars; and

(g) relief claimed.

(2) Every intimation shall be duly signed and verified by the mortgagee, or the person holding the charge, lien or other interest or a person duly authorised by him.

(3) An intimation may be field in the Office of the Commissioner at Delhi on all working days during office hours or may be sent to the Commissioner by registered post, with acknowledgement due.

[F. No. 13(4)/81-AEI(I)]
M. C. GUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981